

कार्यालय उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल वृत प्रथम जोधपुर



क्रमांक : DHC/JDC/15-16/1705

दिनांक : 28/8/2015

आवश्यक सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल की जिला आवंटन समिति, जोधपुर की बैठक दिनांक 01.10.2015 को दोपहर 12.30 बजे कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल सेक्टर 5 कुड़ी भगतासनी योजना जोधपुर में निश्चित की गई है। उक्त बैठक में (1) विवेक विहार नवीन पंजीकरण योजना 2012 प्रथम चरण आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (जी+3) के 46 फ्लैट एवं मध्यम आय वर्ग 'अ' (जी+3) के 11 फ्लैट (2) कुड़ी भगतासनी फेज द्वितीय पाली रोड़ स्ववित पोषित योजना 2013 प्रथम चरण मध्यम आय वर्ग 'अ' (जी+3) के 18 व द्वितीय चरण के 12 फ्लैट (3) विवेक विहार पंजीकरण योजना 2014 प्रथम चरण मध्यम आय वर्ग 'ब' (जी+3) के 136 एवं कुड़ी भगतासनी योजना, फेज द्वितीय पाली रोड़ पंजीकरण योजना, 2014 प्रथम चरण अल्प आय वर्ग (जी+3) के 224 फ्लैट एवं स्ववित पोषित योजना, वर्ष 2014 मध्यम आय वर्ग 'अ' (जी+3) के 11 फ्लैट (4) उच्च आय वर्ग के पंजीकृत आवेदकों हेतु 16 आवासों का आवंटन फ्लैटों/आवासों की उपलब्धता एवं वर्षवार वरीयता के आधार पर मण्डल नियमानुसार योग्य आवेदकों को राजकॉम्प के माध्यम से वेब बेस्ड कम्प्यूटर रेण्डम प्रणाली द्वारा किया जायेगा। फ्लैट का आवंटन उन्ही आवेदकों को किया जायेगा जिन्होंने आरक्षण पत्र के अनुसार पूर्व ग्रहण राशि की कम से कम एक किश्त एव स्ववित पोषित योजना के अन्तर्गत दो या दो से अधिक किश्तें दिनांक 21.09.2015 तक जमा करवाकर चालान की सत्यापित छाया प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर देंगे। दिनांक 21.09.2015 के पश्चात जमा करवाई गई पूर्व ग्रहण राशि के आवेदकों को लॉटरी में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

—: आवंटन लॉटरी हेतु निर्धारित कार्यक्रम :-

क्र. स.	लॉटरी हेतु निर्धारित कार्यक्रम	दिनांक एवं समय	स्थान
1	आवेदकों की अस्थाई सूची का प्रकाशन	दिनांक 10.09.2015 सांय 5.00 बजे	कार्यालय उप आवासन आयुक्त, रा.आ.म, वृत प्रथम, जोधपुर सेक्टर 5, बाई-पास, कुड़ी भगतासनी योजना, जोधपुर के नोटिस बोर्ड पर
2	आक्षेप प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 21.09.2015 सांय 6.00 बजे तक	कार्यालय उप आवासन आयुक्त, रा.आ.म, वृत प्रथम, जोधपुर सेक्टर 5, बाई-पास, कुड़ी भगतासनी योजना, जोधपुर
3	योग्य आवेदकों की स्थाई सूची का प्रकाशन	दिनांक 28.09.2015 सांय 5.00 बजे	कार्यालय उप आवासन आयुक्त, रा.आ.म, वृत प्रथम, जोधपुर सेक्टर 5, बाई-पास, कुड़ी भगतासनी योजना, जोधपुर के नोटिस बोर्ड पर
4	आवंटन लॉटरी की तिथि	दिनांक 01.10.2015 दोपहर 12.30 बजे	कार्यालय उप आवासन आयुक्त, रा.आ.म, वृत प्रथम, जोधपुर सेक्टर 5, बाई-पास, कुड़ी भगतासनी योजना, जोधपुर

नोट:

- उक्त वरीयता निर्धारण लॉटरी में पति-पत्नि व परिवार के आश्रित अन्य आवेदक के नाम से जोधपुर शहर/जोधपुर विकास प्राधिकरण/ नगर निगम, जोधपुर आदि में कोई भूखण्ड/ आवास का आवंटन/पंजीकरण पाये जाने पर आवेदक का पंजीकरण/आवंटन सदैव निरस्त किये जाने योग्य होगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
- यदि कोई आवेदक वांछित सूचना कार्यालय में नहीं देने के कारण प्रस्तावित लॉटरी से वंचित रहता है तो इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
- उपलब्ध फ्लैट का आवंटन वरीयतानुसार किया जायेगा।
- इच्छुक आवेदक निर्धारित दिनांक एवं समय पर लॉटरी कार्यक्रम में भाग ले सकतें हैं।
- आरक्षण राशि जमा नहीं कराने से यदि वरीयता कम भंग होता है, तो इसमें मण्डल का कोई दायित्व नहीं होगा।
- सम्पत्ति निस्तारण हेतु मण्डल निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
- अस्थाई सूची एवं वरीयता लॉटरी/आवंटन लॉटरी की सूची राजस्थान आवासन मण्डल की वेबसाईट www.rhbonline.rajasthan.gov.in पर निर्धारित दिनांक से उपलब्ध रहेगी।

उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल
वृत प्रथम, जोधपुर